2 Rs. COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

(1)

14

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र. शासन ग्वालियर

पुन. विलोकन प्र.क्र.= रिव्यू – 467 III/2004

1. किशोरा बल्द सरिया
2. नंदकिशोर तनय गिल्ले
3. जगदीश तनय बृजलाल
4. गजराज सिंह तनय पर्वत अहिरवार
5. बल्देव सिंह तनय विजय सिंह
6. धूनी तनय दुर्जन ढीमर
7. हरदास तनय मुनुवा ढीमर
8. दिवला तनय मुनुवा ढीमर
8. नारायण सिंह तनय मुलायम सिंह
10. जयन्ती राजा तनय पहलवान सिंह
11. निमिया पुत्री झुत्ते लोधी
12. सिम्मन तनय आपती वाढई

सभी निवासीयान ग्राम नारगुडा तहसील व जिला टीकमगढ़ म.प्र.

---आवेदकगण/आवेदकगण

बनाम

1. मोटीराम बल्द रज्मन सौर निवासी खरो तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ म.प्र.

---आवेदक/उत्तरवादी

पुर्न विलोकन प्रतिकूल आदेश 2/5/03 माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा प्र.क्र. अपील/994/दो/2002-2003 मे पारित कर कमिश्नर के आदेश को निरस्त किया गया।

पुर्न विलोकन अन्तर्गत धारा-51 म.प्र. भू.रा. संहिता

श्री एस.डी. राजहंस एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत! 11-2-04

महोदय,

आवेदकगण निम्न प्रकार विनयी है :-

1/- यह कि भूमि खसरा नम्बर 31/1/1 एवं 35/18 स्थित ग्राम डुमरऊ मोटा नारगुडा तहसील व जिला टीकमगढ़ की भूमि वंटन मे रगवर, जलमा, गनेश, लल्लू को मिली थी उक्त भूमि धारा-165(7-ख) के बिना अनुमति के दिनांक 5/8/97 एवं 7/8/97 को विक्रय पत्र द्वारा उत्तरवादी द्वारा क्रय की गई थी विक्रय पत्र स्टाम्प

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 467– तीन/04 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक अपील 994–दो/02 में पारित आदेश दिनांक 02–5–2003 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	